



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53823

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2528/2026

नुसरत अली खान और 5 अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुस्तकीम अहमद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय

अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मुस्तकीम अहमद और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 354/2024, धारा 498ए, 323, 506 भारतीय दंड संहिता और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ वैवाहिक अपराधों का खुलासा हुआ है और अपीलार्थी पीड़िता/प्रथम सूचक के ससुराल वाले हैं। सह-आरोपी रमीज खान, जो प्रथम सूचक का पति है, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.3.2026 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1898/2026 में पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देते हैं और यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ वैवाहिक अपराधों का खुलासा हुआ है और अपीलार्थी पीड़िता/प्रथम सूचक के ससुराल वाले हैं। सह-आरोपी रमीज खान, जो प्रथम सूचक का पति है, को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोप की प्रकृति, अपीलार्थीगण की भूमिका और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियुक्तगण **नुसरत अली खान, आलिया खान, शफिया तबरेज़ खान, वसीम खान, नासिर खान और रिजवाना** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और कोई अनुचित स्थगन नहीं मांगेंगे;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे;

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वंदना